15/6/2016 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री आशीष दोवड़िया तथा प्रार्थी श्री पन्नालाल उपस्थित। मूल दावे की पत्रावली में प्रार्थीगण (वादीगण) के नये। परिवर्तित सहखातेदारों के विरुद्ध नया दावा पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए दावा वापिस करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र की पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र की पत्रावली भी इसी स्टेज पर निस्तारित करने की अनुमति दी जाती है।

पत्रावली केवल कुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

15/6/16

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कठवाड़ा